भारत के संविधान के अनुच्छेद 176 (1) के अधीन
बिहार विधान-मंडल के एक साथ समवेत अधिवेशन में
बिहार के महामहिम राज्यपाल

श्री राम नाथ कोविन्द

का

अभिभाषण

23 फरवरी, 2017

बिहार विधान मंडल के माननीय सदस्यगण :

मैं नए वर्ष के प्रथम सत्र के अवसर पर बिहार विधान मंडल के संयुक्त अधिवेशन में आप सभी को शुभकामनाएँ देता हूँ तथा राज्य की खुशहाली एवं बहुआयामी विकास की कामना करता हूँ। इस सत्र में आपको वित्तीय, विधायी एवं अन्य महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न करने हैं। बिहार विधान मंडल के सभी सदस्यों से बिहार के विकास के लिए रचनात्मक भूमिका अदा करने की अपेक्षा करता हूँ। आपके बहुमूल्य सुझाव एवं विमर्श से बिहार की प्रगति को बल मिलेगा।

2. राज्य सरकार 'न्याय के साथ विकास' का नजरिया रखते हुए सभी लोगों, क्षेत्रों और वर्गों को साथ लेकर चलने के लिए कृत संकल्पित है। राज्य में विकास की रणनीति समावेशी, न्यायोचित और सतत् होने के साथ आर्थिक प्रगति पर आधारित है। बिहार को देश के विकसित राज्यों की श्रेणी में लाने हेतु सुशासन के कार्यक्रम 2015–20 को सम्पूर्ण राज्य में लागू किया जा रहा है।

3. सरकार की प्राथमिकता है कि सभी राज्यवासियों को न सिर्फ मूलभूत सुविधाएँ यथा–पेयजल, शौचालय एवं बिजली उपलब्ध हो बल्कि आधारभूत संरचनाएँ यथा–सड़क, गली–नाली, पुल आदि का भी विस्तार हो। राज्य सरकार युवाओं और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के साथ–साथ उनके लिए उच्च, व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा की व्यवस्था कर रही है। इन्हीं बिंदुओं को समाहित करते हुए सरकार ने विकसित बिहार के सात निश्चय की रूप–रेखा तैयार की तथा उन्हें सुशासन के कार्यक्रम 2015–20 में शामिल किया। सात निश्चय के तहत कार्यान्वित योजनाओं को सार्वभौमिक स्वरूप दिया गया है, और इसका लाभ बगैर किसी भेद–भाव के सभी क्षेत्रों, समुदायों एवं वर्गों को प्राप्त हो रहा है।

4. राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता विधि व्यवस्था सुदृढ़ करते हुए कानून का शासन स्थापित कर लोगों को भयमुक्त समाज प्रदान करने की रही है। संगठित अपराध पर कड़ाई से अंकुश लगाया गया है, एवं कानूनी प्रावधानों का अनुसरण कराते हुए अपराध नियंत्रण की ठोस व्यवस्था लागू है। पुलिस तंत्र का सुदृढ़ीकरण किया गया है, ताकि वे अपने दायित्वों का निर्वहन कुशलतापूर्वक कर सकें। यह सरकार के संकल्प का ही परिणाम है कि राज्य में सामाजिक सौहार्द एवं साम्प्रदायिक सद्भाव का वातावरण कायम है।

5. बिहार में लागू की गई पूर्ण शराबबंदी से समाज अधिक सशक्त, स्वस्थ एवं संयमी हो रहा है, जिसका अतुल्य प्रभाव बिहार की प्रगति में परिलक्षित हो रहा है। शराबबंदी के कारण परिवारों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है, तथा पारिवारिक हिंसा, घरेलू कलह एवं सामाजिक अपराध में कमी आई है। अप्रैल, 2015 से जनवरी, 2016 के आँकड़ों की तुलना अप्रैल, 2016 से जनवरी, 2017 से की जाये तो अपराध के विभिन्न शीर्षों में कमी दर्ज की गयी है जैसे–हत्या में 22 प्रतिशत, लूट में 18 प्रतिशत, डकैती में 23 प्रतिशत, गम्भीर दंगा में 33 प्रतिशत, फिरौती हेतु अपहरण में 42 प्रतिशत, सड़क दुर्घटना में 17 प्रतिशत आदि।

6. पुलिस आधुनिकीकरण योजनान्तर्गत विगत एक वर्ष में बाँका पुलिस लाईन, नक्सल थाना, पर्यटन थाना, आदर्श थाना, ग्रेड–4 थाना, ग्रेड–2 थाना, आधुनिक पुलिस नियंत्रण कक्ष सहित कुल 151 पुलिस भवनों का निर्माण पूर्ण किया गया तथा सुपौल पुलिस लाईन सहित 29 पुलिस भवनों

का निर्माण किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त 559 थानों में महिलाओं के लिए शौचालय का निर्माण कराया गया है। साथ ही पुलिस पदाधिकारियों/कर्मियों के आवास हेतु 390 यूनिट एवं 3 हजार 777 सिपाहियों के लिए बैरक का भी निर्माण पूर्ण किया गया।

7. अपराध नियंत्रण के वैज्ञानिक अनुसंधान हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशाला के संयत्रों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। राज्य के चार जिलों, यथा–मोतिहारी, पटना, भागलपुर एवं पूर्णिया में चलंत प्रयोगशाला वाहन कार्यरत है तथा अन्य जिलों में इसे कार्यरत करने की कार्रवाई की जा रही है। आतंकवाद निरोधी दस्ता के कर्मियों के लिए विभिन्न राष्ट्रीय एवं राजकीय प्रशिक्षण संस्थानों में उच्च कोटि के प्रशिक्षण की व्यवस्था की गयी है।

8. स्वतंत्रता सेनानी पेंशनधारी की पौत्री, नतिनी की शादी हेतु अनुदान के रूप में 51 हजार रूपये का भुगतान करने एवं राज्य सरकार की सेवा में 2 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने का निर्णय लिया गया है।

9. जे.पी. सेनानी सम्मान योजना के तहत अब तक कुल 3 हजार 117 सेनानियों को पेंशन की स्वीकृति प्रदान की गयी है एवं उन्हें राज्य में चिकित्सा सुविधा एवं निःशुल्क बस यात्रा की सुविधा प्रदान की गयी है।

10. राज्य सरकार द्वारा युद्ध एवं युद्ध जैसी स्थिति में बिहार निवासी शहीद सैनिकों के आश्रित परिजनों को 11 लाख रूपये अनुग्रह अनुदान राशि देने का निर्णय लिया गया है।

11. देश में पहली बार आदर्श केन्द्रीय कारा बेऊर, पटना में कारा ई0आर0पी0 सिस्टम का अधिष्ठापन किया गया है। इस सिस्टम के अन्तर्गत राज्य के 55 काराओं में विभिन्न कार्यों को पूर्णतः कम्प्यूटरीकृत किया जा रहा है। काराओं एवं न्यायालयों के बीच बंदियों के उपस्थापन हेतु राज्य के 58 काराओं में विडियों कॉन्फ्रेंसिंग प्रणाली का अधिष्ठापन करा दिया गया है। निर्माणाधीन बिहार सुधारात्मक प्रशिक्षण संस्थान, हाजीपुर का निर्माण इस वर्ष पूर्ण कर लिया जायेगा।

12. राज्य सरकार द्वारा भ्रष्टाचार के विरूद्ध "जीरो टॉलरेन्स" नीति को दृढ़तापूर्वक लागू कर भ्रष्टाचार नियंत्रण हेतु ठोस प्रयास जारी है। बिहार विशेष न्यायालय अधिनियम, 2009 के आलोक में कुल 9 मामले दर्ज किये गये हैं, जिनमें आरोपियों की सम्पत्ति के अधिहरण का प्रस्ताव है। विगत एक वर्ष में प्रत्यानुपातिक धनार्जन से संबंधित तीन मामलों में विभिन्न लोक सेवकों की सम्पत्ति का अधिहरण किया गया है। प्रारंभ से अब तक कुल 8 मामलों में लोकसेवकों की सम्पत्ति राज्यसात् की गयी है। गत एक वर्ष की अवधि में निगरानी अन्वेषण ब्यूरो द्वारा ट्रैप के 110, पद के भ्रष्ट दुरूपयोग से संबंधित 28 एवं प्रत्यानुपातिक धनार्जन से संबंधित 21 कांड सहित कुल–159 कांड दर्ज हुए हैं, जिसमें लोक सेवक सहित 121 आरोपी गिरफ्तार किये गये हैं।

13. राज्य सरकार द्वारा वित्तीय संरचना को स्थापित करते हुए विकास एवं प्रगति का मार्ग प्रशस्त किया गया है। राज्य का योजना उद्व्यय 2016–17 के लिए 78 हजार 634 करोड़ रूपये निर्धारित किया गया है। राज्य का अपना कर–राजस्व 2015–16 में 25 हजार 449 करोड़ रूपये है, जो गत वित्तीय वर्ष से 22.65 प्रतिशत अधिक है। वर्ष 2016–17 में 29 हजार 730 करोड़ रूपये कर–राजस्व का अनुमान किया गया है। वर्ष 2015–16 के दौरान राजकोषीय घाटा राज्य सकल घरेलू उत्पाद का 2.48 प्रतिशत रहा, जो बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2006 के निर्धारित अधिसीमा के अधीन है। वर्ष 2015–16 की अवधि में बेहतर वित्तीय

प्रबंधन के कारण राज्य सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक से न तो आर्थोपाय अग्रिम और न ही ओवर ड्राफ्ट लिया गया। वर्तमान मूल्यों पर वर्ष 2015–16 का सकल राज्य घरेलू उत्पाद 4 लाख 87 हजार 316 करोड़ रूपये है, एवं वर्ष 2016–17 में बढ़कर 5 लाख 40 हजार 556 करोड़ रूपये अनुमानित है।

14. प्रशासनिक संरचनाओं को सुदृढ़ और पारदर्शी बनाने के साथ–साथ राज्य के नागरिकों को कानूनी अधिकार देकर सशक्त बनाया गया है। प्रशासन के निचले स्तरों पर भ्रष्टाचार की समस्या के निदान के लिए बिहार लोक सेवाओं का अधिकार कानून लागू है। अद्यतन 14 करोड़ 92 लाख से अधिक आवेदनों का निष्पादन कर नागरिकों को विभिन्न लोक सेवाएँ एक नियत समय सीमा के अन्तर्गत उपलब्ध कराई गई है। गत वर्ष 5 जून से बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार कानून लागू किया गया है। बिहार देश का पहला राज्य है, जहाँ नागरिकों को उनके परिवाद पर सुनवाई के साथ–साथ नियत समय सीमा में इसके निवारण का भी कानूनी अधिकार प्राप्त हुआ है। इस अधिनियम के अंतर्गत अबतक 1 लाख 1 हजार से अधिक शिकायतों का निवारण किया गया है। लोकहित में सरकार की नीतियों, कार्यक्रमों एवं योजनाओं के संबंध में नागरिकों से सुझाव प्राप्त करने एवं सकारात्मक सुझावों के आलोक में आवश्यकतानुसार प्रशासनिक व्यवस्था, नीतियों एवं कार्यक्रमों में आवश्यक सम्वर्द्धन करने हेतु दिसम्बर, 2016 से ''लोक संवाद कार्यक्रम'' आरम्भ किया गया है। इस कार्यक्रम में प्राप्त सकारात्मक सुझावों पर अग्रेत्तर कार्रवाई की जा रही है।

15. बिहार उच्च्य न्यायिक सेवा (संशोधन) नियमावली, 2016 एवं बिहार असैनिक सेवा (न्याय शाखा) (भर्ती) (संशोधन) नियमावली, 2016 में निहित प्रावधानों के अनुरूप बिहार उच्च न्यायिक सेवा जिला न्यायाधीश (प्रवेश बिन्दु) एवं बिहार असैनिक सेवा (न्याय शाखा) के पद पर सीधी नियुक्ति में अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 21 प्रतिशत, पिछड़ा वर्ग के लिये 12 प्रतिशत, अनुसूचित जाति के लिए 16 प्रतिशत तथा अनुसूचित जनजाति के लिए 1 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है। सभी श्रेणियों में महिलाओं के लिए 35 प्रतिशत और अस्थि विकलांग उम्मीदवारों के लिए 1 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान किया गया है।

16. प्रारंभ से ही राज्य सरकार महिला सशक्तीकरण के प्रति संवेदनशील है और यह हमारी नीतियों का अभिन्न अंग रहा है। प्रारंभ में पंचायती राज संस्थाओं एवं नगर निकायों के प्रतिनिधियों के निर्वाचन में तथा प्रारंभिक शिक्षकों की नियुक्ति में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण देकर सरकार ने महिला सशक्तीकरण की नींव रखी। इसके अलावे महिला पुलिस थाना की स्थापना, महिला बटालियन का गठन, पुलिस सब–इंस्पेक्टर एवं कॉन्सटेबल की नियुक्ति में महिलाओं को 35 प्रतिशत आरक्षण से महिलाओं में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता बढ़ी है। 'जीविका' परियोजना के तहत राज्य में 10 लाख स्वयं सहायता समूहों के गठन का लक्ष्य है, जिसमें लगभग 1 करोड़ 50 लाख महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित होगी। 'जीविका' से अब तक 70 लाख से अधिक परिवार जुड़ चुके हैं और 5 लाख 66 हजार स्वयं सहायता समूहों का गठन किया जा चुका है। अब तक 3 लाख 7 हजार समूहों को 21 अरब 13 करोड़ रूपये बैंक ऋण के रूप में उपलब्ध कराया गया है। राज्य में ''महिला सशक्तीकरण नीति'' भी लागू की गयी है।

17. महिला सशक्तीकरण की मुहिम को आगे बढ़ाते हुए 'आरक्षित रोजगार महिलाओं का अधिकार' निश्चय के अंतर्गत राज्य के सभी सेवा संवर्गों की सीधी नियुक्ति में महिलाओं के लिए

35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था लागू कर दी गयी है। इस निश्चय के तहत अब तक 2 हजार 414 महिलाओं की नियुक्ति की गई है।

18. राज्य सरकार ने मानव संसाधन के क्षमता संवर्धन के लिए शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया है। 6–14 आयु वर्ग के विद्यालय से बाहर के बच्चों को विद्यालय लाने में राज्य ने महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। वर्तमान में 1 प्रतिशत से कम बच्चे विद्यालय से बाहर रह गये हैं। सर्व शिक्षा अभियान के तहत अब तक कुल 21 हजार 252 प्राथमिक विद्यालय खोले गये हैं, 19 हजार 604 प्राथमिक विद्यालयों को मध्य विद्यालयों में उत्क्रमित किया गया है, 12 हजार 473 प्राथमिक विद्यालय भवनों एवं 2 लाख 66 हजार 492 नये वर्ग कक्षों का निर्माण पूर्ण किया गया है। इस वित्तीय वर्ष में 513 नये प्राथमिक विद्यालय भवन एवं 10 हजार 293 वर्ग कक्षों का निर्माण पूर्ण हुआ है। प्राथमिक स्तर से उच्च प्राथमिक स्तर तक पहुँचने वाले बच्चों की दर वर्ष 2015–16 में 81.11 प्रतिशत हो गयी है।

19. मुख्यमंत्री बालक एवं बालिका साईकिल योजना के अन्तर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष में 9वीं कक्षा में नामांकित 14 लाख 1 हजार 292 छात्र–छात्राओं को साईकिल के लिए तथा माध्यमिक शिक्षा अन्तर्गत वर्ग 9–12 में नामांकित 12 लाख 50 हजार 315 छात्राओं को पोशाक हेतु राशि उपलब्ध करायी जा रही है। राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालय विहीन पंचायतों में अब तक 2 हजार 158 मध्य विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालय में उत्क्रमित किया गया है। राज्य में पूर्णिया, पाटलिपुत्र एवं मुंगेर में विश्वविद्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। साथ ही निजी विश्वविद्यालय स्थापित करने हेतु 11 प्रस्ताव प्राप्त हुये हैं जिनमें 7 को आशय पत्र निर्गत किया गया है। विश्व बैंक सम्पोषित शिक्षकों की दक्षता में वृद्धि हेतु 33 शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों के निर्माण एवं 250 प्रशिक्षण केन्द्रों पर आई.सी.टी. की व्यवस्था की गयी है।

20. बिहार की नयी पीढ़ी को शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार के अवसर प्राप्त करने हेतु सक्षम बनाने के लिए 'आर्थिक हल, युवाओं को बल' निश्चय के तहत समेकित कार्य योजना लागू की गई है। इसके तहत तीन योजनाएँ, यथा बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना एवं कुशल युवा कार्यक्रम का गाँधी जयन्ती, 2 अक्टूबर, 2016 को शुभारम्भ किया गया है। ये योजनाएँ जिला मुख्यालय में निर्मित जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र के माध्यम से संचालित हो रही हैं। 12 वीं उत्तीर्ण युवा इच्छानुसार उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए स्टूडेन्ट क्रेडिट कार्ड योजना, बीस से पच्चीस वर्ष के आयु–वर्ग के युवा, जो अध्ययनरत नहीं हैं, रोजगार तलाशने में सहायता हेतु स्वयं सहायता भत्ता योजना तथा मैट्रिक अथवा इंटरमीडिएट उत्तीर्ण युवा भाषा, संवाद, व्यवहार कौशल एवं बुनियादी कम्प्यूटर–ज्ञान के लिए कुशल युवा कार्यक्रम का लाभ उठाने के लिए पंजीकृत हो रहे हैं। जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्रों, शैक्षणिक संस्थानों एवं ग्रामीण/शहरी क्षेत्रों में अभियान चलाकर युवाओं की काउन्सलिंग एवं उन्मुखीकरण किया जा रहा है, ताकि अधिक से अधिक युवा इन योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकें।

21. राज्य सरकार के निश्चय के तहत सभी सरकारी विश्वविद्यालयों एवं कॉलेजों में निःशुल्क वाई–फाई के माध्यम से इन्टरनेट की सुविधा प्रदान करने की योजना का क्रियान्वयन फरवरी, 2017 से प्रारंभ किया जाना था, परन्तु आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण इसे अगले माह में कार्यान्वित किया जाएगा। इसके माध्यम से विश्वविद्यालय एवं कॉलेजों के सभी छात्र एवं कर्मी

को इन्टरनेट से जोड़ा जा सकेगा, ताकि वे राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रहे घटनाक्रम, बदलाव एवं विकास से अवगत हो सकें।

22. 'अवसर बढ़ें, आगे पढ़ें' निश्चय के तहत राज्य के आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान में युवाओं का योगदान, उच्च शिक्षा के विकास एवं कुशल कामगारों के आपूर्ति पक्ष को मजबूत करने के उद्देश्य से प्रत्येक जिला में जी.एन.एम. संस्थान, पैरा–मेडिकल संस्थान, पॉलिटेकनिक, महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान एवं अभियंत्रण महाविद्यालय की स्थापना के लिए भूमि चिन्हित कर ली गई है और इनके निर्माण हेतु वार्षिक लक्ष्य का निर्धारण कर लिया गया है। इसी तरह से सभी चिकित्सा महाविद्यालयों में नर्सिंग कॉलेज की स्थापना, प्रत्येक अनुमण्डल में ए.एन.एम. संस्थान एवं सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना के लिए भी भूमि का चयन कर योजनाओं की स्वीकृति दी गई है। राज्य में पाँच नये मेडिकल कॉलेजों की स्थापना के लिए बेगूसराय, वैशाली, सीतामढ़ी, भोजपुर एवं मधुबनी जिले का चयन किया गया है।

23. राज्य सरकार, बिहार की जनता को बेहतर एवं गुणवत्तायुक्त चिकित्सीय सुविधाएँ पहुँचाने के लिए सतत् प्रयत्नशील है। बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओं में व्यापक सुधार किया गया है। आज प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं जिला अस्पताल एक क्रियाशील स्वास्थ्य केन्द्र के रूप में कार्यरत है। अब स्वास्थ्य क्षेत्र में द्वितीय चरण के सुधार पर काम किया जा रहा है, ताकि लोगों को आधुनिक चिकित्सा सुविधाएँ राज्य में ही मिल सकें।

24. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत जिला अस्पतालों एवं प्रथम रेफरल इकाई को क्रियाशील करने के निमित्त विभिन्न विधाओं में 287 विशेषज्ञ चिकित्सकों का नियोजन करने के साथ ही राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के तहत शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में 142 चिकित्सा पदाधिकारी, 405 ए.एन.एम., 81 फार्मासिस्ट तथा 243 स्टाफ नर्स का नियोजन किया गया है।

25. राज्य में मातृ–मृत्यु–दर में कमी लाने के लिए सभी स्तर पर गर्भवती माताओं को प्रसवपूर्व एवं प्रसवोपरान्त गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएँ उपलब्ध करायी जा रही है। फलतः 2005 में मातृ मृत्यु दर 371 से कम होकर 2013 में 208 हो गया है। राज्य में मातृ–मृत्यु–दर को आगामी पाँच वर्षों में राष्ट्रीय स्तर से नीचे लाने की योजना है, जिसके तहत 149 प्रथम रेफरल इकाई एवं 1 हजार 48 डेलिवरी प्वाइंट को क्रियान्वित किये जाने का प्रयास जारी है। अब तक राज्य में कुल 38 विशेष नवजात देखभाल इकाई, 39 नवजात शिशु स्थिरीकरण इकाई एवं 550 नवजात देखभाल कक्ष कार्यरत हैं।

26. वर्तमान में 409 अस्पतालों में एक्स–रे एवं 87 अस्पतालों में अल्ट्रासाउण्ड की सेवा उपलब्ध करायी जा रही है। पैथोलॉजिकल सेवा के सुदृढ़ीकरण हेतु सभी प्रथम रेफरल इकाई, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा प्रत्येक जिले के दो अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में 817 सेमी ऑटो एनालाईजर अधिष्ठापित किये गये हैं। सभी सदर अस्पताल एवं अनुमंडलीय अस्पतालों में ब्लड सेल काउन्टर/हीमेटोलॉजी एनालाईजर उपलब्ध कराये गये हैं। इसके अतिरिक्त 496 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों तथा 70 रेफरल अस्पतालों में भी इसे उपलब्ध कराने की कार्रवाई की जा रही है।

27. राज्य में प्रजनन–दर में लगातार गिरावट आई है। कुल प्रजनन–दर 2009 में 3.9 था, जो वर्ष 2014 में घटकर 3.2 हो गया है। राज्य में पूर्ण प्रतिरक्षण का आच्छादन वर्तमान वित्तीय वर्ष में 84 प्रतिशत हो गया है। पोलियो से दोहरी सुरक्षा प्रदान करने हेतु राज्य में इनएक्टीवेटेड पोलियो

वायरस वैक्सीन दी जा रही है। टी.बी. का इलाज आसान करने के उद्देश्य से राज्य में 'डेली रेजिमन' योजना शुरू की जा रही है। कालाजार रोगियों की संख्या में कमी आई है, एवं इस वर्ष में कालाजार के उन्मूलन का लक्ष्य है। कालाजार के उन्मूलन हेतु उन्नत चिकित्सा के साथ–साथ मुख्यमंत्री राहत कोष से प्रति रोगी 6 हजार 600 रूपये का भुगतान किया जा रहा है।

28. 'राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम' अन्तर्गत 18 वर्ष तक के 1 करोड़ 10 लाख बच्चों का परीक्षण कर स्वास्थ्य कार्ड वितरित किया गया है। कम्प्यूटरीकृत प्रणाली ''संजीवनी'' के तहत बाह्य कक्ष में इलाज किये गये कुल 7 करोड़ 64 लाख से अधिक मरीजों की सूचना दर्ज की गयी है। सभी सदर अस्पतालों तथा तीन चिकित्सा महाविद्यालयों में नशा मुक्ति केन्द्र संचालित हैं, जिनमें अब तक 9 हजार 300 मरीजों को उपचारित किया गया है।

29. बिहार में सड़कों तथा पुल–पुलियों का जाल बिछाकर, अब राज्य के सुदूर क्षेत्र से 5 घंटे में राजधानी पटना पहुंचने का लक्ष्य रखा गया है। प्रारंभ से अब तक 2 हजार 232 किलोमीटर राष्ट्रीय उच्च पथों तथा 4 हजार 21 किलोमीटर राज्य उच्च पथों का नवीकरण एवं उन्नयन किया गया है। इसके अतिरिक्त कुल 13 हजार 600 किलोमीटर से अधिक वृहद् जिला पथों का निर्माण तथा उन्नयन किया गया है। अभिगम्यता बढ़ाने हेतु अब तक कुल 6 हजार 700 से अधिक बड़े पुलों का निर्माण कराया गया है।

30. गंगा नदी पर भागलपुर–खगड़िया के बीच, बख्तियारपुर–ताजपुर के बीच, कच्ची दरगाह–बिदुपुर के बीच, आरा–छपरा के बीच, गंडक नदी पर गोपालगंज जिला के बंगरा घाट पर एवं पूर्वी चम्पारण जिला के सत्तर घाट पर तथा सोन नदी पर दाउदनगर–नासरीगंज के बीच वृहद् पुलों का निर्माण किया जा रहा है। राज्य की महत्त्वाकांक्षी परियोजना गंगा पथ एव पटना स्थित एम्स से दीघा तक एलिवेटेड कोरिडोर का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

31. मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के तहत 250 से अधिक जनसंख्या वाले सभी टोलों/बसावटों को बारहमासी एकल सड़क सम्पर्कता प्रदान करने का लक्ष्य है, जिसके तहत लगभग 31 हजार 183 किलोमीटर लम्बाई के ग्रामीण पथों का निर्माण आगामी 4 वर्षों में किये जाने का लक्ष्य है। ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा इस वित्तीय वर्ष में 2 हजार 305 करोड़ रूपये से अधिक राशि व्यय कर 2 हजार 325 पथों एवं 36 पुलों का निर्माण पूर्ण किया गया है। इसके अतिरिक्त 2 हजार 467 करोड़ रूपये से अधिक राशि की लागत पर 1 हजार 501 पथों एवं 80 पुलों का निर्माण किया जा रहा है। राज्य सरकार के निश्चय के तहत वर्तमान वित्तीय वर्ष में 100 से 249 तक की आबादी वाले टोलों को बारहमासी एकल सम्पर्कता प्रदान करने हेतु 'ग्रामीण टोला संपर्क निश्चय योजना' प्रारंभ की गई है, जिसमें 4 हजार 643 टोलों को 3 हजार 977 किलोमीटर सड़क निर्माण कर सम्पर्कता प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है। इस योजनान्तर्गत वर्ष 2016–17 में 1 हजार 153 टोलों को संपर्कता प्रदान करने का लक्ष्य है और कार्य भी प्रारंभ किया गया है।

32. राज्य में बिजली की स्थिति में उत्तरोत्तर सुधार हुआ है। कॉटी ताप विद्युत प्रतिष्ठान की क्षमता विस्तार परियोजना के तहत 195 मेगावाट की दो इकाइयों के निर्माण का कार्य अंतिम चरण में है। राज्य योजना के अंतर्गत बरौनी ताप विद्युत प्रतिष्ठान की क्षमता–विस्तार–परियोजना के तहत 250 मेगावाट की दो नयी इकाइयों का कार्य निर्माणाधीन है, जिसे नवम्बर, 2017 तक पूरा करने का लक्ष्य है। नबीनगर में 660 मेगावाट की तीन ताप विद्युत इकाई जिनकी कुल क्षमता

1 हजार 980 मेगावाट है, के निर्माण में प्रगति हुई है और इन्हें जून, 2018 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है।

33. संचरण के क्षेत्र में भी उत्साहवर्द्धक उपलब्धियाँ हासिल हुई हैं। वर्तमान में 3 हजार 769 मेगावाट पीक पावर की आपूर्त्ति की जा चुकी है, और आपूर्त्ति में उत्तरोत्तर वृद्धि करने का प्रयास जारी है। 31 राजस्व अनुमंडलों में ग्रिड उपकेन्द्र के निर्माण का कार्य प्रगति पर है, जिसे जून, 2017 तक पूर्ण किया जायेगा। स्पेशल प्लान बी०आर०जी०एफ० के तहत 7 ग्रिड उपकेन्द्रों की स्थापना की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त 7 नये ग्रिड उपकेन्द्रों का निर्माण वर्तमान वित्तीय वर्ष के अंत तक किये जाने का लक्ष्य है।

34. वितरण के प्रक्षेत्र में स्पेशल प्लान बी०आर०जी०एफ० के अन्तर्गत दो योजनाएँ फेज–1 एवं फेज–2 स्वीकृत हैं। फेज–1 में 21 उपकेन्द्र का निर्माण हो चुका है एवं शेष 4 का निर्माण जून, 2017 तक कर लिया जायेगा। साथ ही कुल 379 सब–स्टेशनों के आधुनिकीकरण एवं नवीनीकरण का कार्य पूर्ण कर लिया गया है, एवं शेष 10 का कार्य मार्च, 2017 तक पूरा करने का लक्ष्य है। पीक लोड की मांग को पूरा करने हेतु 274 किलोमीटर नये 33 के0वी0 लाईन, 2 हजार 315 किलोमीटर नये 11 के0वी0 लाईन का निर्माण एवं 5 हजार 479 नये ट्रांसफार्मर अधिष्ठापित किये गये हैं।

35. "हर घर बिजली" निश्चय का शुभारम्भ 15 नवम्बर, 2016 को किया गया है। इस निश्चय के अंतर्गत आगामी 2 वर्षों में मुख्यमंत्री विद्युत संबंध निश्चय योजना के तहत राज्य सरकार अपने संसाधनों से ग्रामीण क्षेत्रों में सभी घरों तक विद्युत संबंध उपलब्ध करायेगी। इसके साथ–साथ दिसम्बर, 2017 तक सभी गाँवों का विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा।

36. राज्य में कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास के लिए कृषि रोड मैप के कार्यक्रमों को लागू किया जा रहा है। यह एक इन्द्रधनुषी क्रांति है, जिसमें योजनाओं का लाभ उठा कर हमारे मेहनती किसान चावल, गेहूँ एवं मक्का की उत्पादकता में अभूतपूर्व वृद्धि कर राष्ट्रीय औसत से आगे निकल गये हैं। खरीफ, 2016 में 24 हजार 798 एकड़ में संकर धान प्रभेद, 11 हजार 696 एकड़ संकर मक्का प्रभेद, 4 हजार 27 एकड़ में भड़ुआ प्रभेदों एवं संकर बाजरा बीज का वितरण 301 एकड़ के लिए किया गया है। वर्ष 2016–17 में चावल का उत्पादन द्वितीय अग्रिम पूर्वानुमान के अनुसार 84 लाख 90 हजार मेट्रिक टन होने का आकलन किया गया है, जो एक रिकॉर्ड है।

37. जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए अभी तक 18 हजार 730 वर्मी कम्पोस्ट इकाइयों की स्थापना की गई है। राज्य के सभी किसानों को 2 वर्षों में मृदा स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध कराये जाने का कार्यक्रम शुरू किया गया है, जिसके तहत अभी तक कुल 25 लाख 16 हजार 708 मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित किये गये हैं। 350 प्रखंडों में ई–किसान भवन का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है। वर्ष 2016–17 में अब तक राज्य में बागवानी के विकास के लिए प्रखंड नर्सरी/प्रोजक्षीबाग नर्सरियों में उत्पादित 20 लाख 92 हजार 613 पौधों का वितरण किसानों को किया गया है। राज्य के सभी जिलों एवं 12 अनुमंडलों में स्थापित किये गये कुल 50 स्वचालित मौसम स्टेशन के अतिरिक्त राज्य के शेष प्रखंडों में स्वचालित मौसम स्टेशन अधिष्ठापित किया जाना प्रस्तावित है।

38. मुख्यमंत्री गन्ना विकास कार्यक्रम के तहत गन्ना कृषकों के बीच 7 लाख 2 हजार विंवटल प्रमाणित बीज का अनुदानित दर पर वितरण किया गया। गन्ने की पेराई सत्र 2015–16 में राज्य

की चीनी मिलों में 5 लाख 3 हजार टन चीनी का उत्पादन किया गया। चीनी की रिकवरी का प्रतिशत 9.77 रहा है। पेराई सत्र 2015–16 में चीनी मिलों द्वारा क्रय किये गये ईख के मूल्य के 99.42 प्रतिशत का भुगतान किसानों को किया जा चुका है। पेराई सत्र 2016–17 के लिए चीनी मिलों द्वारा पेराई का कार्य प्रगति पर है।

39. राज्य में हरित आवरण 15 प्रतिशत तक पहुँचाने का लक्ष्य है। गत सर्वेक्षण–2015 के अनुसार हरित आवरण 12.88 प्रतिशत हो गया है। कृषि रोड मैप के अन्तर्गत 24 करोड़ वृक्षारोपण के लक्ष्य के विरूद्ध ग्रामीण विकास विभाग द्वारा मनरेगा योजनान्तर्गत लगाये गये वृक्षों को मिलाकर अब तक कुल 19 करोड़ 91 लाख से अधिक वृक्षारोपण किया गया है। वनों के पुनर्वास एवं नमी संरक्षण हेतु तथा वनों के बाहर सरकारी भूमि, अवकृष्ट एवं बंजर भूमि तथा किसानों की भूमि पर वृक्षारोपण के तहत पौधे लगाये गये हैं। बोधगया के पास पिपरघट्टी में 23 हेक्टेयर क्षेत्र में एक जैव विविधता उद्यान 'बुद्ध वाटिका' का विकास किया गया है। इसके अतिरिक्त अररिया जिला के कुसियार गाँव में 163 एकड़ क्षेत्र में दूसरा जैव विविधता उद्यान का विकास किया जा रहा है। राजगीर में 191 हेक्टेयर वनभूमि पर वन्यप्राणी सफारी की स्थापना की कार्रवाई की जा रही है। राज्य में वानिकी/पर्यावरण विषयों में शिक्षण, प्रशिक्षण एवं प्रबंधन हेतु मुंगेर में "वानिकी महाविद्यालय" की स्थापना की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

40. पशु एवं मत्स्य संसाधन की ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सुदृढीकरण एवं ग्रामीण स्वरोजगार के सृजन में महत्वपूर्ण भूमिका है। पशु स्वास्थ्य के तहत वर्ष 2016–17 में अब तक एफ०एम०डी० टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 1 करोड़ 27 लाख पशुओं को, एच०एस०बी०क्यू० टीकाकरण अभियान के अन्तर्गत 80 लाख पशुओं को तथा पहली बार पी0पी0आर0 रोग के विरूद्ध लगभग 80 लाख बकरियों/भेड़ों को टीकाकृत किया गया। राज्य के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में बाढ़/सुखाड़/महामारी नियंत्रण हेतु 50 एम्बुलेट्री भान के माध्यम से अब तक 369 चिकित्सा शिविर आयोजित किये गये तथा इसमें 38 हजार 622 पशुओं की चिकित्सा की गयी। इसके अतिरिक्त 18 लाख 84 हजार पशुओं का कृत्रिम गर्भाधान भी कराया गया है। राज्य सरकार के विशेष पहल के तहत बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना की गयी है।

41. गव्य विकास योजना के अन्तर्गत 80 करोड़ रूपये के लागत पर राज्य में 2, 5, 10 एवं 20 दुधारू मवेशियों की डेयरी इकाई की स्थापना पर सामान्य वर्ग के लाभुकों को 50 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति/जनजाति के लाभुकों को 75 प्रतिशत अनुदान पर योजना की स्वीकृति दी गयी है। राज्य में 1 हजार 750 इकाई स्वचालित दुग्ध संग्रहण केन्द्र स्थापित किये जा रहे हैं। समेकित बकरी एवं भेड़ विकास योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति के 6 हजार 500 एवं अनुसूचित जनजाति के 1 हजार 800 गरीब इच्छुक बकरीपालकों को प्रजनन योग्य तीन–तीन बकरियाँ जीविका के माध्यम से निःशुल्क वितरण की कार्रवाई की जा रही है। 620 बकरी फार्म इकाई की स्थापना की स्वीकृति प्रदान की गयी है। समेकित मुर्गी विकास योजना के तहत 10 हजार क्षमता के 36 लेयर फार्म तथा 5 हजार क्षमता के 46 लेयर फार्म की स्थापना हेतु कार्रवाई की जा रही है।

42. राज्य में गत वर्ष मछली का उत्पादन 5 लाख 6 हजार मेट्रिक टन हुआ था, तथा इसके उत्पादन में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। वर्तमान में बिहार मीठा जल मछली उत्पादन में देश में चौथे स्थान पर है। इस वर्ष में 5 मत्स्य बीज हैचरी का निर्माण किया गया है।

43. अल्पकालीन सहकारी कृषि ऋण वितरण के अन्तर्गत सहकारी बैंकों के माध्यम से वर्ष 2016–17 में खरीफ के लिए 2 अरब 78 करोड़ रूपये एवं रब्बी के लिए 17 करोड़ 19 लाख रूपये का ऋण वितरित किया गया है। राज्य में धान अधिप्राप्ति हेतु कृषकों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ दिलाने के उद्देश्य से अपनी भूमि पर धान उत्पादन करने वाले किसानों के लिए 150 क्विन्टल एवं दूसरे की भूमि पर धान उत्पादन करने वाले किसानों के लिए 50 क्विन्टल अधिकतम धान अधिप्राप्ति की सीमा निर्धारित की गयी है। राज्य के 8 हजार 463 पैक्स एवं 521 व्यापार मंडल के माध्यम से किसानों से अब तक 5 लाख 71 हजार मेट्रिक टन धान की अधिप्राप्ति की गई है।

44. पैक्स के सदस्यता वृद्धि कार्यक्रम के तहत पैक्सों में सदस्यों की संख्या कुल 1 करोड़ 11 लाख तक पहुँच गयी है। वर्ष 2016–17 में लगभग 3 लाख 26 हजार नए सदस्य बने हैं। महिला सदस्यों की संख्या भी 2 लाख 8 हजार से बढ़कर 6 लाख 54 हजार हुई है। पैक्स–व्यापार मंडलों की भंडारण क्षमता में अभिवृद्धि के लिए अब तक 2 हजार 852 नये गोदामों का निर्माण कर 6 लाख 50 हजार मेट्रिक टन भंडारण क्षमता का सृजन किया गया है तथा 693 गोदामों का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

45. सामाजिक आर्थिक जातीय जनगणना सर्वेक्षण के आधार पर खाद्य सुरक्षा लागू करने वाले राज्यों में बिहार अग्रणी है। इसके अन्तर्गत राज्य के ग्रामीण क्षेत्र में 85.12 प्रतिशत एवं शहरी क्षेत्रों में 74.53 प्रतिशत जनसंख्या को आच्छादित करने का लक्ष्य है। प्रत्येक माह औसतन 4 लाख मेट्रिक टन से अधिक खाद्यान्न लाभान्वितों के बीच वितरित किया जा रहा है। राज्य खाद्य निगम की भंडारण क्षमता की अभिवृद्धि हेतु अब तक कुल 803 गोदामों का निर्माण कार्य पूर्ण कर 7 लाख मेट्रिक टन अतिरिक्त भंडारण क्षमता का सृजन किया गया है।

46. जल संसाधन विभाग को दो पृथक खण्डों– 'सिंचाई सृजन' तथा 'बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण' में पुनर्गठित किया गया है। राज्य में वृहद एवं मध्यम सिंचाई योजनाओं से दिसम्बर, 2016 तक 29 लाख 89 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता का सृजन कर लिया गया है। इस वित्तीय वर्ष मे अब तक 97 हजार हेक्टेयर भूमि में अतिरिक्त सिंचाई क्षमता सृजित की गयी है। वर्ष 2016–17 में 1 लाख 51 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में हासिल सिंचाई क्षमता को पुनर्स्थापित किया गया। बेहतर नहर संचालन के द्वारा वर्ष 2016–17 में 19 लाख 31 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में खरीफ सिंचाई प्रदान की गई है जो गत वर्ष की उपलब्धि से 2 लाख 14 हजार हेक्टेयर अधिक है।

47. राज्य में 68 लाख हेक्टेयर से अधिक बाढ प्रवण क्षेत्र है, जो राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 73 प्रतिशत है। मार्च, 2016 तक राज्य में 3 हजार 746 किलोमीटर एवं नेपाल भाग में 68 किलोमीटर तटबंध का निर्माण कर 36 लाख 46 हजार हेक्टेयर क्षेत्र को सुरक्षित कर लिया गया है। भागलपुर जिला में चान्दन नदी के किनारे लगभग 101 किलोमीटर तथा मुजफ्फरपुर जिला में बागमती बाढ़ प्रबंधन योजना फेज–II के तहत लगभग 70 किलोमीटर नए तटबंध का निर्माण कार्य प्रगति में है। इसके अतिरिक्त महानन्दा बाढ़ प्रबंधन योजना फेज–II के तहत लगभग 200 किलोमीटर नए तटबंध का निर्माण कार्य प्रस्तावित है।

48. बिहार शताब्दी निजी नलकूप योजना के अन्तर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष में 6 हजार 281 निजी नलकूप किसानों द्वारा अधिष्ठापित किया गया है, जिससे 16 हजार 100 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई क्षमता का सृजन किया गया है। राज्य के सभी 38 जिलों के प्रत्येक प्रखण्ड एवं प्रत्येक जिला मुख्यालय में अत्याधुनिक तकनीक आधारित 571 ऑटोमेटिक डिजिटल वाटर लेवल रिकॉर्डर अधिष्ठापित किया जा रहा है। अब तक 146 रिकॉर्डर अधिष्ठापित किये गये हैं। राज्य सरकार के सतही सिंचाई योजना के अन्तर्गत कुल 392 योजनायें क्रियान्वित की जा रही है, जिसमें 94 योजनाओं को पूर्ण कर 13 हजार 508 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता का सृजन किया गया है।

49. मनरेगा योजनान्तर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष में अब तक 18 लाख 96 हजार परिवारों को रोजगार मुहैय्या कराया गया है, जिसके फलस्वरूप 6 करोड़ 30 लाख 59 हजार मानव दिवस का सृजन किया गया है। इसमें महिलाओं तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की भागीदारी क्रमशः 43 एवं 26 प्रतिशत है। इंदिरा आवास योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016–17 में 5 लाख 27 हजार 87 आवासों का निर्माण कराया गया है। ग्रामीण विकास विभाग द्वारा दिनांक 19 दिसम्बर, 2014 से राज्य पंजीयक के रूप में आधार कार्ड निर्माण किया जा रहा है। राज्य में अबतक कुल 8 करोड़ 21 लाख 85 हजार 681 लोगों की आधार संख्या का सृजन किया जा चुका है जो कुल जनसंख्या का लगभग 79 प्रतिशत है।

50. ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के समेकित विकास हेतु राज्य सरकार कृत संकल्पित है। गाँव एवं शहरों के आर्थिक एवं सामाजिक परिवेश में सकारात्मक बदलाव आया है। आवश्यक मूलभूत सुविधाएँ गाँव तथा शहरों तक पहुँची है। अब सरकार चाहती है कि यह सुविधा सभी घरों को सुलभ हो। 'शौचालय निर्माण, घर का सम्मान' निश्चय के तहत ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में 'लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान' चलाया जा रहा है। इस निश्चय के अंतर्गत खुले में शौच से मुक्त तथा स्वस्थ एवं स्वच्छ बिहार के लिए राज्य के सभी घरों में शौचालय की व्यवस्था की जा रही है। साथ ही परिवारों को शौचालय के नियमित उपयोग के लिए सामूहिक व्यवहार परिवर्तन को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। ग्रामीण विकास विभाग द्वारा वर्तमान वित्तीय वर्ष में अब तक कुल 1 हजार 430 ग्राम पंचायतों में 4 लाख 37 हजार व्यक्तिगत शौचालय तथा नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा शहरी क्षेत्र में 60 हजार 310 व्यक्तिगत तथा 29 सामुदायिक शौचालय का निर्माण कराया जा चुका है। लोहिया स्वच्छता अभियान के तहत अब तक 1 अनुमंडल, 9 प्रखंड एवं 204 पंचायत खुले में शौच से मुक्त हो चुके हैं।

51. 'हर घर नल का जल' निश्चय के तहत बिहार के हर घर को पाईप के माध्यम से पेयजल की आपूर्ति की जाएगी। यह कार्य सभी 8 हजार 391 ग्राम पंचायतों और 140 नगर निकायों के सामूहिक प्रयास से पूरा किया जाएगा। इस निश्चय का शुभारम्भ 27 सितम्बर, 2016 को किया गया है।

52. वित्तीय वर्ष 2016–17 में स्लीप्ड बैक/आंशिक आच्छादित 468 बसावट एवं गुणवत्ता प्रभावित 463 बसावटों का आच्छादन किया गया है। राज्य के जिलों एवं प्रखंडों के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति बाहुल्य टोलों में सौर उर्जा चालित पम्प के साथ 256 मिनी पाईप जलापूर्ति योजनाओं को पूर्ण किया गया है एवं कुल 305 योजनाओं पर कार्य प्रगति में है। इस वर्ष राज्य में आर्सेनिक प्रभावित जिलों में 45 मिनी पाईप जलापूर्ति योजनाएँ क्रियान्वित की जा रही हैं,

जिनमे 20 योजनाओं का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। राज्य के फ्लोराईड एवं लौह प्रभावित 20 जिलों में मिनी पाईप जलापूर्ति योजनाओं के अंतर्गत 162 योजनाएँ पूर्ण की गयी हैं एवं 185 का कार्य प्रगति में है। पंचायती राज विभाग द्वारा वर्तमान वित्तीय वर्ष में अब तक ग्रामीण क्षेत्र के 110 वार्डों में योजना प्रारम्भ की गयी है तथा कुल 3 हजार 450 घरों को पेयजल की सुविधा प्रदान की गयी है। शहरी क्षेत्र में नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा वर्तमान वित्तीय वर्ष में अब तक 304 वार्डों में योजना प्रारम्भ की गयी है तथा 7 हजार 534 घरों को पेयजल की सुविधा प्रदान की गयी है। अगले 4 वर्षों में चरणबद्ध तरीके से पूरे राज्य को आच्छादित किया जायेगा।

53. 'घर तक पक्की गली–नालियाँ' निश्चय के तहत सभी गाँव एवं शहरों में गली–नाली का निर्माण कराया जाना है। इस निश्चय का शुभारम्भ 28 अक्टूबर, 2016 को किया गया है। 'मुख्यमंत्री शहरी नाली–गली पक्कीकरण निश्चय योजना' के अंतर्गत नगर निकायों द्वारा मुहल्लों में पक्की सड़क का निर्माण कराया जा रहा है। शहरी क्षेत्र में वर्तमान वित्तीय वर्ष में अब तक 678 वार्डों में कुल 47 किलोमीटर गलियों का निर्माण कराया गया है। 'मुख्यमंत्री ग्रामीण गली–नाली पक्कीकरण निश्चय योजना' के तहत राज्य के सभी बसावटों में ग्राम पंचायतों के माध्यम से ईंट सोलिंग, पेभर ब्लॉक एवं पी०सी०सी० गली निर्माण एवं नाली के निर्माण के लिए छोटी–छोटी योजनाओं का चरणबद्ध रूप से क्रियान्वयन प्रारंभ कर दिया गया है।

54. राज्य में युवाओं की उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए "बिहार स्टार्ट–अप नीति, 2016" सितम्बर, 2016 से लागू की गयी है। ब्याज अनुदान, इन्क्यूबेशन सेंटर, प्रचार–प्रसार, प्रमाणीकरण आदि की व्यवस्था इस नीति के मुख्य अंग हैं। इस नीति के तहत 500 करोड़ रूपये के वेंचर कैपिटल फण्ड का भी प्रावधान किया गया है। इसके तहत अब तक 555 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिसमें से 63 आवेदकों को इनक्यूबेटर के साथ सम्बद्ध किया गया है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में आवश्यकतानुसार उपयोग हेतु 50 करोड़ रूपये की स्वीकृति दी गई है। राज्य में त्वरित औद्योगिक विकास के लिए बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 लागू की गयी है। इस नीति में खाद्य प्रसंस्करण, पर्यटन, लघु मशीन निर्माण, सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रिकल एण्ड इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर, प्लास्टिक एवं रबर, चमड़ा, स्वास्थ्य सेवायें, गैर पारंपरिक ऊर्जा, वस्त्र एवं तकनीकी शिक्षा आदि को प्राथमिक प्रक्षेत्र के रूप में शामिल किया गया है। राज्य में औद्योगिक निवेश को अधिक सहज बनाने के उद्देश्य से बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन अधिनियम, 2016 को लागू किया गया है। इसके तहत औद्योगिक इकाइयों के स्थापना हेतु कॉमन आवेदन प्रपत्र को ऑनलाईन समर्पित कर, 30 दिनों के अंदर राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद् की स्वीकृति प्राप्त की जा सकेगी। अब तक 107 परियोजना–प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई है।

55. सेंडई फ्रेमवर्क एग्रीमेंट के परिप्रेक्ष्य में 15 वर्षीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोडमैप 2015–2030 तैयार करने वाला एवं आपदा रिस्पांस में मानदंड स्थापित करने वाला बिहार देश का पहला राज्य बना है। आपदाओं में त्वरित रिस्पांस एवं राहत पहुंचाने हेतु एस0डी0आर0एफ0 की पूर्णकालिक बटालियन को गठित करने वाला बिहार देश का अग्रणी राज्य है। पूर्व में निर्धारित बाढ़ आपदा प्रबंधन हेतु मानक संचालन प्रक्रिया को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अद्यतन किया गया है। भूकम्प आपदा प्रबंधन एवं चक्रवातीय तूफान आपदा प्रबंधन हेतु मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने की कार्रवाई जारी है। वर्ष 2016 में राज्य में आए बाढ़ से 31 जिलों के 182 प्रखंडों के 1 हजार 421

पंचायतों में 87 लाख 82 हजार लोग प्रभावित हुए। बाढ़ राहत हेतु 1 हजार 351 राहत शिविरों का संचालन किया गया। इन शिविरों में 9 लाख 88 हजार लोगों को सहायता पहुँचायी गयी। बाढ़ पीड़ितों के बीच मुफ्त साहाय्य वितरण हेतु खाद्यान्न के बदले नकद मद में 4 अरब 7 करोड़ रूपये तथा नकद अनुदान मद में 4 अरब 2 करोड़ रूपये वितरित किये गये। बाढ़ से मरने वाले 254 व्यक्तियों के निकटतम आश्रितों को 4 लाख रूपये की दर से अनुग्रह अनुदान 24 घंटे के अन्दर भुगतान किया गया।

56. राज्य सरकार महिलाओं, बच्चों, वृद्ध एवं निःशक्तजनों के कल्याण एवं सामाजिक सुरक्षा के प्रति सजग है। राज्य में पूरक पोषाहार योजनान्तर्गत कुल 544 बाल विकास परियोजनाओं में 91 हजार 677 आँगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से 6 माह से 6 वर्ष तक के बच्चों एवं गर्भवती तथा शिशुवती महिलाओं को पूरक पोषाहार प्रदान कराया जा रहा है। इसके अतिरिक्त 23 हजार 41 नये आँगनबाड़ी केन्द्रों को कार्यान्वित करने की स्वीकृति दी गयी है। आँगनबाड़ी केन्द्रों पर स्कूल पूर्व शिक्षा प्राप्त कर रहे 3–6 वर्ष के 44 लाख 46 हजार बच्चों को पोशाक के लिए राज्य योजना से राशि उपलब्ध कराई जा रही है।

57. सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016–17 से कैम्प मोड के स्थान पर सीधे पेंशनधारियों के खाते में पेंशन की राशि का भुगतान किया जा रहा है तथा अद्यतन कुल 35 लाख 55 हजार पेंशनधारियों के खाते में कुल 10 अरब 4 करोड़ 62 लाख रूपये पेंशन का भुगतान किया गया है। शेष पेंशनधारियों के शीघ्र भुगतान के लिए राज्यव्यापी अभियान चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अन्तर्गत अब तक 6 अरब 70 करोड़ रूपये व्यय कर 13 लाख 40 हजार 374 कन्याओं को लाभान्वित किया गया है। मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना के तहत अब तक कुल 16 लाख 72 हजार 868 कन्याओं को लाभान्वित किया गया है।

58. मुख्यमंत्री विकलांग सशक्तीकरण योजना (सम्बल) के तहत दिव्यांगजनों को उच्च शिक्षा हेतु ऋण, आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से स्वरोजगार ऋण, कृत्रिम अंग एवं उपकरण का निःशुल्क वितरण किया जा रहा है। अभी तक 11 लाख 19 हजार दिव्यांग व्यक्तियों को प्रमाणीकृत किया गया है तथा योजना के अनुरूप अहर्ता प्राप्त 5 लाख 75 हजार दिव्यांगजनों को सीधे उनके बैंक खाते में निःशक्तता पेंशन का भुगतान किया गया है। वृद्धजनों के पुनर्वास के लिए राज्य में स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से "ओल्ड एज होम" का क्रियान्वयन पाँच जिलों में किया जा रहा है।

59. राज्य सरकार अल्पसंख्यकों के बहुमुखी विकास हेतु कृत संकल्पित है। अल्पसंख्यक विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत वर्ष 2016 में 1 लाख 23 हजार 129 अल्पसंख्यक छात्र/छात्राओं को लाभान्वित किया गया है। मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना के अन्तर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष में अब तक 8 हजार 743 अल्पसंख्यक लाभुकों को स्वरोजगार हेतु 89 करोड़ 96 लाख रूपये तथा मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक शिक्षा ऋण योजना के अन्तर्गत 2 हजार 958 अल्पसंख्यक लाभुकों के बीच 25 करोड़ 73 लाख रूपये आवंटित किये गये हैं। राज्य सरकार ने अंजुमन इस्लामिया हॉल, पटना के पुनर्निर्माण हेतु 35 करोड़ 18 लाख रूपये की स्वीकृति प्रदान की है। अल्पसंख्यक छात्रावास योजना के तहत राज्य के सभी जिलों में छात्रावास का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें 30 छात्रावास संचालित हैं तथा शेष जिलों में छात्रावास का निर्माण कार्य प्रगति पर है। कब्रिस्तान

घेराबंदी योजना के अन्तर्गत राज्य में अब तक 5 हजार 175 कब्रिस्तानों की घेराबंदी पूर्ण कर ली गयी है।

60. राज्य के 60 वर्ष से अधिक पुराने मंदिरों में रखी पर्यटन एवं ऐतिहासिक महत्व की बहुमूल्य मूर्तियाँ, आभूषण आदि की सुरक्षा हेतु बिहार मंदिर चहारदीवारी योजना, वर्ष 2016 में प्रारम्भ की गई है, जिसके तहत मंदिरों की पक्की चहारदीवारी का निर्माण कराया जायेगा।

61. महादलित विकास योजना के अन्तर्गत अबतक कुल 2 लाख 40 हजार 705 वास रहित परिवारों को वास भूमि उपलब्ध करायी जा चुकी है। थरूहट क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति के विकास के लिए 5 बालक तथा 5 बालिका आवासीय उच्च विद्यालय के स्थापना की कार्रवाई की जा रही है। 5 आवासीय विद्यालय का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया है। थरूहट क्षेत्र विकास अभिकरण के माध्यम से अबतक 2 हजार 41 अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को आत्मनिर्भर बनाने हेतु विभिन्न कौशल विकास के प्रशिक्षण कार्यक्रमों के तहत लाभान्वित किया गया है।

62. वर्ष 2016–17 में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति प्री–मैट्रिक छात्रवृत्ति के तहत 53 लाख 46 हजार 289 छात्र/छात्राओं को तथा प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति के तहत प्रतिबद्ध देयता के अन्तर्गत 78 हजार 294 छात्र/छात्राओं को एवं मेधावृत्ति के तहत कुल 1 लाख 1 हजार 908 छात्र/छात्राओं को लाभान्वित किया जा रहा है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में 560 आसन वाले 6 अनुसूचित जाति आवासीय विद्यालयों के नये भवनों के निर्माण की स्वीकृति दी गई है। अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए 7 प्राक्–परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्रों में विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

63. वर्ष 2016–17 में प्री–मैट्रिक छात्रवृत्ति के तहत पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के लगभग 1 करोड़ 64 लाख छात्र/छात्राओं को लाभान्वित करने के लिए राशि आवंटित की गई है। इसके अतिरिक्त प्रतिबद्ध देयता के अन्तर्गत लगभग 2 लाख 50 हजार पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के छात्र–छात्राओं को प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति से आच्छादित करने के लिए राशि का प्रावधान किया गया है। मेधावृत्ति के तहत अत्यंत पिछड़े वर्ग के 44 हजार 288 छात्र/छात्राओं एवं पिछड़े वर्ग के 42 हजार 963 छात्र/छात्राओं को लाभान्वित करने की कार्रवाई की जा रही है।

64. बाल श्रम उन्मूलन हेतु वर्ष 2016 में कुल 2 हजार 161 निरीक्षण किये गये एवं 276 बाल श्रमिकों को विमुक्त कराकर 161 दोषी नियोजकों के विरूद्ध अभियोजन दायर किया गया है। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के अन्तर्गत 88 अनुसूचित नियोजनों में न्यूनतम मजदूरी की दरों का पुनरीक्षण दिनांक–01.12.2016 के प्रभाव से किया गया है, जिसके अनुसार सामान्य प्रकृति के नियोजनों के लिए न्यूनतम मजदूरी 237 रूपये प्रतिदिन एवं कृषि नियोजन के लिए 227 रूपये प्रतिदिन निर्धारित किया गया है, एवं अधिनियम के कार्यान्वयन हेतु सभी जिलों में धावा दल का गठन किया गया है।

65. बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना के तहत अब तक कुल 142 मृत प्रवासी मजदूरों के आश्रितों को भुगतान हेतु कुल 1 करोड़ 42 लाख रूपये की राशि जिलों को आवंटित की गई है। बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड का अपना वेबसाईट विकसित किया गया है, जिसमें अब तक 7 लाख 74 हजार 993 निर्माण श्रमिकों को पंजीकृत किया गया है। निर्माण श्रमिकों के निबंधन में गति लाने के उद्देश्य से प्रखंड सत्यापन समिति का

गठन किया गया है। भवन निर्माण/मरम्मति, औजार एवं साईकिल क्रय हेतु अनुदान योजना के अन्तर्गत अब तक एक वर्ष की सदस्यता पूरी करने वाले कुल 49 हजार 262 पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के बीच अनुदान वितरित किया जा रहा है। इस वर्ष 2016–17 में 84 नियोजन–सह–व्यावसायिक मार्गदर्शन मेलों में कुल 43 हजार 534 युवक/युवतियों का नियुक्ति हेतु चयन निजी कंपनियों द्वारा किया गया है।

66. कौशल विकास मिशन के तहत नागरिकों को रोजगारोन्मुखी कौशल विकास हेतु विभिन्न विभागों में प्रशिक्षण के 149 पाठ्यक्रमों का चयन किया गया है, तथा प्रशिक्षण प्रदाता एजेंसियों का चयन अंतिम चरण में है।

67. राज्य के सभी ग्राम पंचायतों में पंचायत सरकार भवन के निर्माण का लक्ष्य है। 709 पंचायत सरकार भवनों का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है, तथा 421 भवन निर्माणाधीन हैं। पंचायत आम चुनाव, 2016 में त्रिस्तरीय पंचायतों एवं ग्राम कचहरियों के लगभग 2 लाख 59 हजार प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आये हैं, जिनमें आधी से अधिक संख्या महिला प्रतिनिधियों की है।

68. पटना शहर में परिवहन की व्यवस्था सुदृढ़ करने के क्रम में कुल 3 अरब 31 करोड़ 61 लाख रूपये की अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल के निर्माण की योजना को स्वीकृति प्रदान की गयी है। राज्य के 39 नगर निकायों में बस स्टैंड निर्माण की योजना स्वीकृत की गयी है, जिसमें से 10 बस स्टैंड का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। शहरी परिवहन योजना के अधीन फेज–II के अन्तर्गत 13 शहर समूहों के लिए 227 बसों का क्रय कर परिवहन निगम को परिचालन हेतु हस्तांतरित कर दिया गया है। पटना मास्टर प्लान–2031 की स्वीकृति प्रदान की गयी है। राज्य के शहरी क्षेत्र में शवों के अंतिम संस्कार हेतु शवदाह गृह निर्माण के लिए विभाग द्वारा विस्तृत नीति तैयार की जा रही है।

69. बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त अधिनियम के अंतर्गत राज्य में सर्वेक्षण कार्य कराया जा रहा है। 38 जिलों में हवाई फोटोग्राफी का कार्य सम्पन्न किया जा चुका है। हवाई फोटोग्राफी से प्राप्त डाटा से तैयार किये गये री–सर्वे मानचित्र का सत्यापन करते हुए 12 जिलों के कुल 1 हजार 478 राजस्व ग्रामों का सत्यापन, 700 राजस्व ग्रामों की खानापुरी, 204 राजस्व ग्रामों के प्रारूप का प्रकाशन एवं 2 राजस्व ग्रामों के खतियान का अंतिम प्रकाशन किया जा चुका है तथा 49 राजस्व ग्रामों के खतियान का अंतिम प्रकाशन किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त शेष बचे जिलों के हवाई फोटोग्राफी से प्राप्त डाटा की सुरक्षा–जांच प्रक्रियाधीन है।

70. बिहार में पूर्ण मद्य–निषेध लागू कर राज्य में सामाजिक परिवर्तन की बुनियाद रखी गयी है। संपूर्ण बिहार में इसके प्रति जनसामान्य विशेष कर महिलाओं एवं युवाओं में काफी उत्साह है। सामान्य जन भावना हमेशा से शराब के विरूद्ध रही है, और इसीलिए राज्य सरकार के निर्णय को अपार जन–समर्थन प्राप्त हुआ है। शराबबंदी के लिए बिहार सरकार का यह अभियान अनूठा है, क्योंकि मजबूत तंत्र और सामाजिक भागीदारी दोनों इसके अभिन्न अंग हैं। शराबबंदी के इस मुहिम में जहाँ एक ओर कानून का अनुपालन सख्ती से किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर शराब के विरूद्ध जारी व्यापक जन चेतना को और सुदृढ़ करने का भी प्रयास जारी है। बिहार में लागू शराबबंदी का सकारात्मक प्रभाव सामाजिक सौहार्द पर पड़ा है और गाँव तथा शहरों में शांति एवं सद्भाव का माहौल स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है।

71. शराबबंदी के सफल सामाजिक अभियान और इसके व्यापक सकारात्मक परिणाम के मद्देनजर इस अभियान के दायरे का विस्तार करते हुए नशा–मुक्ति के लिए राज्यव्यापी अभियान का शुभारंभ 21 जनवरी, 2017 को मानव श्रृंखला से किया गया है। 21 जनवरी, 2017 को 3 करोड़ से अधिक बिहार वासियों ने 12 हजार 760 किलोमीटर लंबी राज्यव्यापी विराट मानव श्रृंखला बना कर देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में शराबबंदी एवं नशा मुक्ति के पक्ष में सशक्त संदेश दिया है। इस आयोजन में बिहार वासियों ने जो व्यापक भागीदारी, उत्साह एवं एकता प्रदर्शित की वह अभूतपूर्व एवं ऐतिहासिक है। नशा मुक्ति का यह अभियान 'बिहार दिवस' 22 मार्च, 2017 तक जारी रहेगा।

72. राज्य सरकार के ई–गवर्नेन्स नीति तथा पेपरलेस कार्य को बढ़ावा देने के विकल्प के रूप मे विभिन्न प्रकार के दस्तावेजों का ऑनलाईन निबंधन प्रणाली लागू की गई है। निबंधन में ऑनलाईन भुगतान हेतु नागरिकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से देय स्टाम्प ड्यूटी की राशि में 1 प्रतिशत या 2 हजार रूपये तक की छूट देने का निर्णय लिया गया है। राज्य सरकार द्वारा छात्र एवं आम नागरिक को शिक्षा एवं चिकित्सा ऋण लेने में आर्थिक बोझ कम करने एवं इसे सुलभ बनाने हेतु सभी प्रकार के शिक्षा एवं चिकित्सा ऋण के दस्तावेजों पर देय निबंधन शुल्क 2 प्रतिशत एवं स्टाम्प ड्यूटी 1 प्रतिशत में क्रमशः 75 प्रतिशत एवं 50 प्रतिशत की कमी की गयी है।

73. दस्तावेजों के निबंधन से संबंधित 30 प्रकार के दस्तावेजों के मॉडल डीड विभागीय वेबसाईट पर प्रदर्शित कर दिये गये हैं। आमजन की सुविधा के मद्देनजर दस्तावेजों के निबंधन को और अधिक पारदर्शी बनाने हेतु 105 निबंधन कार्यालयों को विभागीय डाटा सेन्टर से जोड़ दिया गया है।

74. राज्य में वाहनों की बिक्री एवं निबंधन में प्रतिवर्ष उत्तरोत्तर वृद्धि दर्ज की गई है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016–17 में अब तक कुल 5 लाख 11 हजार 934 वाहनों का निबंधन हो चुका है। राज्य के सभी जिलों में आधुनिक एवं सुसज्जित जिला परिवहन कार्यालय–सह–सुविधा केन्द्रों का निर्माण कराया जा रहा है। अब तक कुल 19 जिलों में आधुनिक जिला परिवहन कार्यालय–सह–सुविधा केन्द्रों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है।

75. बिहार सरकार खनन कार्य एवं पर्यावरण में संतुलन बनाने हेतु सतत् प्रयत्नशील है। इस उद्देश्य को पूरा करने हेतु एक सस्टेनेबुल सैण्ड एण्ड स्टोन माईनिंग नीति को अपनाया गया है। पत्थर के मामले में ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक धरोहर तथा पर्यावरणीय दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण पहाड़ों पर खनन कार्य प्रतिबंधित किया गया है। खनिज परिवहन हेतु ई–चालान लागू करने के लिए एन.आई.सी. द्वारा सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है एवं परीक्षण के तौर पर प्रत्येक जिला में एक बालू घाट चिन्हित कर इसे लागू किया गया है।

76. अवैध उत्खनन की रोक–थाम के लिए सभी जिलों में टास्क फोर्स गठित है, जिसे अवैध उत्खनन पर सतत् निगरानी रखने का निदेश दिया गया है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में माह जनवरी, 2017 तक 2 हजार 722 छापेमारी, 688 प्राथमिकी दर्ज की गयी है और 218 अवैध उत्खननकर्त्ताओं को गिरफ्तार किया गया है। इस क्रम में दण्ड के रूप में कुल 11 करोड़ 61 लाख रूपये की वसूली की गई है।

77. वाणिज्य कर विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2015–16 में 17 हजार 378 करोड़ रूपये का राजस्व संग्रह किया गया है। वित्तीय वर्ष 2016–17 में राजस्व संग्रह के निर्धारित लक्ष्य 22 हजार करोड़ रूपये की प्राप्ति हेतु विभाग प्रयत्नशील है। प्रस्तावित नये कराधान जी0एस0टी0 को लागू करने की दिशा में वाणिज्य कर विभाग अग्रसर है। विभाग में जी0एस0टी0 सेल गठित किया गया है। विभाग में प्रयुक्त कम्प्यूटर प्रणाली को प्रस्तावित नये कराधान जी0एस0टी0 के लिए और अधिक सुदृढ़ करने की योजना है।

78. राज्य सरकार ने वर्तमान वित्तीय वर्ष में सर्विस प्लस फ्रेमवर्क के द्वारा राज्य स्तर पर ई–डिस्ट्रिक्ट परियोजना के क्रियान्वयन का निर्णय लिया है। इस योजना का क्रियान्वयन राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, बिहार इकाई, पटना के द्वारा किया जा रहा है। इस योजना का क्रियान्वयन पेपर लेस कार्यालय की ओर एक महत्वपूर्ण कदम होगा। राज्य सरकार द्वारा पटना में आई.टी. टॉवर विकसित करने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

79. सम–सामयिक विषयों पर प्रभावकारी लोक संवाद स्थापित करने तथा सरकारी नीतियों, कार्यक्रमों, योजनाओं एवं उपलब्धियों के लोक शिक्षण हेतु व्यापक प्रचार–प्रसार की व्यवस्था के उद्देश्य से "बिहार संवाद समिति" का गठन किया गया है। आधुनिक सूचना तकनीक एवं पेशेवर तरीके से विज्ञापन संबंधी कार्यों को संपादित करने के लिए 'बिहार विज्ञापन नीति' का गठन किया गया है एवं इसके कार्यान्वयन हेतु 'बिहार विज्ञापन नियमावली' लागू की गई है।

80. राज्य के प्रतिभावान खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रशिक्षण–सुविधा प्रदान किये जाने के उद्देश्य से राजगीर में 90 एकड़ भूमि पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की स्पोर्ट्स अकादमी एवं आधुनिक क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण हेतु 6 अरब 33 करोड़ रूपये की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी है। राजगीर में फिल्म सिटी के लिए भूमि आवंटित है तथा कला एवं संस्कृति विभाग द्वारा इसकी स्थापना हेतु अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है।

81. भारतीय उप–महाद्वीप के इतिहास एवं संस्कृति में बिहार के योगदान से देशी–विदेशी पर्यटकों एवं आगजन को परिचित कराने के उद्देश्य से अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के बिहार संग्रहालय का निर्माण अंतिम चरण में है, जिसमें बाल दीर्घा, पूर्वावलोकन दीर्घा एवं ओरियेण्टेशन शो को दर्शकों के लिए खोल दिया गया है। इस वर्ष प्राचीन नालन्दा विश्वविद्यालय (महाविहार) के भग्नावशेषों को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। पटना में सम्राट अशोक कन्वेंशन केन्द्र का निर्माण अप्रैल माह तक पूर्ण करने का लक्ष्य है।

82. राज्य के प्रत्येक प्रमंडलीय मुख्यालय में 600 क्षमतायुक्त आदर्श प्रेक्षागृह–सह–आर्ट गैलरी का निर्माण कराया जाना है। इसके तहत दरभंगा एवं सहरसा प्रमंडलीय मुख्यालय में प्रेक्षागृह–सह–आर्ट गैलरी निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गयी है। बिहार के अंतर्गत ऐतिहासिक एवं महत्वपूर्ण स्थलों को चिन्हित कर पर्यटकीय सुविधाओं के विकास हेतु 110 योजनाएं पूर्ण की गयी हैं तथा 117 योजनाओं पर कार्य प्रगति पर है।

83. राज्य गौरवान्वित है कि श्री गुरू गोविन्द सिंह जी महाराज के 350वें प्रकाश पर्व का सफल आयोजन राज्य सरकार के सौजन्य से किया गया। इस पावन पर्व के अवसर पर लाखों की संख्या में देश–विदेश से श्रद्धालुओं एवं पर्यटकों का आगमन हुआ, जिनके लिए पटना के तीन स्थानों यथा– गाँधी मैदान, बाईपास एवं कंगन घाट में अस्थायी टेन्ट सिटी का निर्माण किया गया। इसमें

श्रद्धालुओं को सभी प्रकार की आवश्यक सुविधाएँ प्रदान की गयी। आगन्तुक श्रद्धालुओं के निःशुल्क परिवहन हेतु 150 बस सेवा, 100 ई–रिक्शा तथा जलयान की व्यवस्था की गई। बोधगया में आयोजित 34वीं कालचक्र पूजा में परम पावन श्री दलाई लामा की अगुवाई में लाखों की संख्या में आये श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। यह आयोजन सफलतापूर्वक सम्पन्न हुआ। वर्ष 2016 में राज्य में घरेलू पर्यटकों की संख्या 2 करोड़ 85 लाख रही जबकि 10 लाख 11 हजार विदेशी पर्यटकों का आगमन हुआ।

84. राज्य सरकार के द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी के चम्पारण सत्याग्रह के शताब्दी वर्ष के विस्तृत आयोजन की रूप–रेखा तैयार की गई है। इसके अन्तर्गत 10 अप्रैल, 2017 से 21 अप्रैल, 2018 तक अनेक कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे। इस आयोजन का शुभारम्भ 'राष्ट्रीय विमर्श' से किया जायेगा, जिसमे प्रख्यात गाँधी विचारकों को आमंत्रित कर उनके विचारों को साझा किया जायेगा। बापू के व्यक्तित्व, कृत्य एवं विचारों को घर–घर तक पहुँचाया जायेगा तथा गाँव–गाँव तक ऑडियो–विजुअल वाहनों के माध्यम से भी इनका प्रचार–प्रसार कराया जायेगा। स्वतंत्रता सेनानी सम्मान समारोह का आयोजन किया जायेगा। इसके अतिरिक्त गाँधी जी के चम्पारण सत्याग्रह से जुड़े महत्वपूर्ण स्थलों पर टावर, स्मृति पार्क, स्मारक एवं स्मृति–पट्टिका आदि का भी निर्माण कराया जायेगा।

85. नीति, कार्यक्रम एवं योजनाओं को क्रियान्वयन की कसौटी पर परखने एवं उनमें लोगों की सहभागिता एवं संतुष्टि के स्तर का आकलन करने के लिए क्षेत्रीय स्तर पर अनुश्रवण, निरीक्षण एवं समीक्षा की ठोस व्यवस्था है। कृषि रोड मैप, मिशन मानव विकास, कौशल विकास मिशन, औद्योगिक प्रोत्साहन के महत्वपूर्ण कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के साथ–साथ राज्य सरकार ने नई पहल के तहत बिहार के सर्वांगीण विकास, सामाजिक परिवर्तन एवं जन अधिकारों के सशक्तीकरण हेतु सुशासन के कार्यक्रम, विकसित बिहार के 7 निश्चय, लोक शिकायत निवारण अधिकार कानून एवं शराबबंदी जैसे महत्वाकांक्षी कार्यक्रमों एवं जन अभियान को धरातल पर उतारा जा रहा है। ये सभी पहल लोकोन्मुखी हैं और इन्हें जन–सहभागिता से क्रियान्वित किया जा रहा है।

86. मेरे द्वारा आपके समक्ष रखी गयी सरकार की उपलब्धियों एवं भावी कार्यक्रमों से स्पष्ट है कि सरकार न्याय के साथ विकास के मूल मंत्र को केन्द्र बिन्दु में रखते हुए राज्य के सभी क्षेत्रों एवं सभी वर्गों के उत्थान के लिए सतत् प्रयत्नशील है। राज्य में साम्प्रदायिक सद्भाव एवं सामाजिक समरसता का जो माहौल है, उसे कायम रखना है। राज्य सरकार जनता के विश्वास पर खरा उतरने के लिए कठिन परिश्रम कर रही है। मुझे विश्वास है कि वर्तमान सत्र में वित्तीय एवं विधायी कार्यों के साथ–साथ राज्य के सर्वांगीण विकास पर आप सार्थक चर्चा करेंगे, जो राज्य के विकास में सहायक होगा। मुझे धैर्य एवं ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी माननीय सदस्यों को धन्यवाद।

।। जय हिन्द ।।